ऑस्ट्रेलिया तथा भारत गणराज्य के बीच सोशल सिक्योरिटी समझौता

ऑस्ट्रेलिया की सोशल सिक्योरिटी प्रणाली

ऑस्ट्रेलिया की सोशल सिक्योरिटी प्रणाली विश्व के अधिकाँश देशों से अलग है। हरेक व्यक्ति की पेंशन का भुगतान Australian Government द्वारा, किसी सामाजिक बीमा निधि में दिये गये योगदानों में से करने की बजाय, सामान्य निधि में से किया जाता है। इस कारण से ऑस्ट्रेलियाई पेंशनों के लिये आय तथा परिसंपत्ति का परीक्षण किया जाता है।

यदि आप पेंशन के लिए माँग (क्लेम) करना चाहते/ती हैं तो आपको हमें आपकी, और यदि आपका/की कोई जोड़ीदार[1] है, तो आपके/की जोड़ीदार की[1] आय तथा परिसंपत्तियों के बारे में अवश्य बताना होगा।

यह समझौता आपकी कैसे सहायता करता है?

यदि आप ऑस्ट्रेलिया या भारत में रहते/ती हैं, तो इस समझौते के अनुसार आप ऑस्ट्रेलियाई या भारतीय भुगतान पाने के लिए माँग कर सकते/ती हैं। इस समझौते के अनुसार आप ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास की अवधियों[2] को और भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज की अवधियों को एक-साथ जोड़ सकते/ती हैं, ताकि आप भुगतान के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतान

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के बारे में सभी निर्णय हम करते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतान किसे मिल सकता है?

इस समझौते के अनुसार पात्र होने के लिए, सामान्यतया आपको निम्नांकित मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है:

ऑस्ट्रेलियाई भुगतान	मूलभूत पात्रताएँ:
Age pension	• आपकी आयु, पात्रता की निर्धारित आयु जितनी होना आवश्यक है (विवरण के लिए **servicesaustralia.gov.au/agepension** देखें), और • आपकी कुल Australian residence[2] अवधियों और भारत में कवरेज की अवधि(यों) का कुल जोड़ कम से कम 10 वर्ष होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बातें:

- भारत में केवल 1 जनवरी 2016 के बाद की बीमा अवधियाँ ही जोड़ी जा सकती हैं।
- यदि आपको 10 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1 जनवरी 2016 के बाद भारत में आपकी बीमा अवधियों को जोड़ने की ज़रूरत हो, तो आपकी अवधियों में, 16 नवंबर 1995 और आपकी आयु 58 वर्ष की होने के बीच में, कम से कम 12 महीने (छः महीने लगातार) की Australian Working Life Residence[2] अवधि होना भी आवश्यक है।
- यदि आप माँग (क्लेम) करते समय ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे/ही हैं, तो आपकी अवधियों में, 16 नवंबर 1995 और Age Pension के लिए पात्रता प्राप्त करने की आयु होने के बीच में, कम से कम 12 महीने की Australian Working Life Residence[2] अवधि होना आवश्यक है।

- ऐसी कुछ अन्य आवश्यकतायें भी हो सकती हैं जिनको भुगतान मिलने से पहले पूरा करना आपके लिए आवश्यक हो।
- जब तक आपके द्वारा माँग-पत्र जमा नहीं करवाया जाता और आपकी परिस्थितियों पर विचार नहीं कर लिया जाता तब तक हम यह पक्का नहीं कह सकते हैं कि आपको भुगतान मिल जाएगा। यह निर्णय लेना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भुगतान पाने के लिए माँग (क्लेम) करना चाहते/ती हैं या नहीं।

मैं ऑस्ट्रेलियाई भुगतान के लिए माँग (क्लेम) कैसे कर सकता/ती हूँ?

यदि आप:	
ऑस्ट्रेलिया में हैं तो	माँग (क्लेम) फॉर्म लेने के लिए: • आपका एक myGov खाता होना चाहिए जो आपके Centrelink online account से जुड़ा हुआ हो, या • **servicesaustralia.gov.au/sa002** से *Claim for Age Pension and Pension Bonus* फॉर्म और **servicesaustralia.gov.au/sa369** से *Income and Assets* फॉर्म प्रिंट करके भरें, या • Older Australians लाइन[4] पर हमें फोन करें।
	माँग (क्लेम) फॉर्म जमा करवाने के लिए: • myGov के माध्यम से अपलोड करें, या • आप अपने माँग फॉर्म तथा अन्य सहायक दस्तावेज़ों को हमें डाक[4] द्वारा भेज सकते/ती हैं या अपने निकटतम Services Australia Service Centre में जाकर दे सकते/ती हैं।
भारत में हैं तो	माँग (क्लेम) फॉर्म लेने के लिए: • स्थानीय पेंशन एजेंसी से संपर्क करें[3], या • International Services लाइन[4] पर हमें फोन करें, या • **servicesaustralia.gov.au/aus140** से *Claim for Australian pension from an agreement country* फॉर्म और **servicesaustralia.gov.au/mod-ia** से *Income and Assets* फॉर्म प्रिंट करके भरें, या
	अपना माँग (क्लेम) फॉर्म जमा करवाने के लिए: • अपने माँग (क्लेम) फॉर्म तथा अन्य सहायक दस्तावेज़ों को किसी भारतीय पेंशन एजेंसी के कार्यालय[3] में ले जायें।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के लिए माँग (क्लेम) फॉर्म को सामान्यतया 13 सप्ताह पहले तक जमा करवाया जा सकता है। आपको अपना माँग (क्लेम) फॉर्म तथा सभी सहायक दस्तवेज़ एक साथ जमा करवाना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे/गी तो, हो सकता है कि आपकी माँग (क्लेम) स्वीकार न की जाये।

भारतीय भुगतान

भारतीय भुगतानों के बारे में सभी निर्णय भारतीय पेंशन एजेंसी द्वारा लिये जाते हैं। भारतीय भुगतानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आपको भारतीय पेंशन एजेंसी से संपर्क करना चाहिए[3]।

भारतीय भुगतान किसे मिल सकता है?

यह पता लगाने कि आपको भारतीय Retirement Pension, Permanent Total Disability Pension या Survivor Pension मिल सकती है या नहीं आपको भारतीय समाजिक बीमा एजेंसी[3] की वेबसाइट पर जाना होगा।

मैं भारतीय भुगतान के लिए माँग (क्लेम) कैसे कर सकता/ती हूँ?

यदि आप:	
ऑस्ट्रेलिया में हैं तो	माँग (क्लेम) फॉर्म लेने के लिए: • International Services लाइन[4] पर हमें फोन करें।
	अपना माँग (क्लेम) फॉर्म जमा करवाने के लिए: • अपने माँग (क्लेम) फॉर्म तथा अन्य सहायक दस्तावेज़ों को अपने निकटतम Services Australia Service Centre में ले जायें, या • अपने माँग (क्लेम) फॉर्म तथा अन्य सहायक दस्तावेज़ों को हमें डाक[4] द्वारा भेज दें।
भारत में हैं तो	माँग (क्लेम) फॉर्म लेने के लिए: • यदि भारतीय समाजिक बीमा एजेंसी[3] की वेबसाइट पर कोई निर्देश दिये गये हों तो उनका पालन करें, या • भारतीय बीमा एजेंसी[3] से संपर्क करें।
	अपना माँग (क्लेम) फॉर्म जमा करवाने के लिए: • यदि भारतीय समाजिक बीमा एजेंसी[3] की वेबसाइट पर कोई निर्देश दिये गये हों तो उनका पालन करें, या • अपने माँग (क्लेम) फॉर्म तथा अन्य सहायक दस्तावेज़ों को किसी भी भारतीय पेंशन एजेंसी के कार्यालय[3] में ले जायें।

अधिक जानकारी के लिए

यदि आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो निःशुल्क सहायता और सलाह के लिए हमसे संपर्क करें[4]।

फुटनोट	सूचना
1. जोड़ीदार की परिभाषा	आपका/की जोड़ीदार है, तो हम आपको एक जोड़े का सदस्य मानते हैं। हम आपको एक जोड़े का सदस्य मानते हैं यदि आप: • विवाहित हैं • एक पंजीकृत रिश्ते में हैं • एक डि फेक्टो रिश्ते में हैं। एक पंजीकृत रिश्ता वो होता है जिसमें आपका रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के किसी राज्य या टैरीटोरी के किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो। यदि आपका रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी जगह से पंजीकृत है, तो हम उसे एक पंजीकृत रिश्ते के रूप में मान्यता नहीं देते। आप इसे एक डि फेक्टो रिश्ते के लिए प्रमाण के तौर पर दिखा सकते/ती हैं। एक डि फेक्टो रिश्ता वो होता है जिसमें आपका

<table>
<tr><th>फुटनोट</th><th colspan="2">सूचना</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">और आपके/की जोड़ीदार का आपसी रिश्ता एक विवाहित जोड़े के आपसी रिश्ते के समान होता है लेकिन आप विवाहित या पंजीकृत रिश्ते में नहीं हैं।</td></tr>
<tr><td>2. Australian residence/Australian Working Life Residence</td><td colspan="2">‘Australian residence’ का मतलब उस अवधि से है जब आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ऑस्ट्रेलियाई स्थायी वीज़ा धारक के रूप में ऑस्ट्रेलिया में रहे थे/रही थी।

Australian residence को किसी भी समय ऑस्ट्रेलियाई भुगतान के लिए पात्रता पाने के लिए काम में लिया जाता है।

‘Australian Working Life Residence’ अवधियों में केवल 16 वर्ष और Age Pension की आयु के बीच की आयु में ऑस्ट्रेलिया में निवास की अवधियाँ ही शामिल हैं।

भारत के साथ इस समझौते में, Australian Working Life Residence केवल 16 नवंबर 1995 के बाद की अवधियों तक ही सीमित है। इस समझौते में कुछ विशेष प्रावधानों के लिए पाबंदियाँ लागू हो सकती हैं।</td></tr>
<tr><td>3. भारतीय सामाजिक बीमा एजेंसी का संपर्क विवरण</td><td>Employees' Provident Fund Organisation, Head Office

Bhavishya Nidhi Bhawan
14, Bhikaji Cama Place
New Delhi 110066
INDIA</td><td>वेबसाइट: epfindia.gov.in/

फोन:

• 1800 118 005
टोल फ्री (केवल भारत से किये जाने वाले कॉल्स के लिए)

• +91 11 2619 5325</td></tr>
<tr><td>4. Services Australia का संपर्क विवरण</td><td>Centrelink International Services
Services Australia

PO Box 7809
Canberra BC, ACT, 2610
AUSTRALIA</td><td>वेबसाइट: servicesaustralia.gov.au

फोन:

• 000 800 61 01098 International निःशुल्क कॉल™ (केवल भारत से किये जाने वाले कॉल्स के लिए)

• +61 3 6222 3455 International Services (केवल ऑस्ट्रेलिया के बाहर से किये जाने वाले कॉल्स के लिए)

• 132 300 Older Australians लाइन (केवल ऑस्ट्रेलिया से किये जाने वाले कॉल्स के लिए)

• 131 673 International Services (केवल ऑस्ट्रेलिया से किये जाने वाले कॉल्स के लिए)

फैक्स: +61 3 6222 2799

महत्वपूर्ण बातें:

• अन्तर्राष्ट्रीय निःशुल्क कॉल™ नंबर आपको सीधे Services Australia से जोड़ देता है। हो सकता है कि यह निःशुल्क कॉल™ भारत में सभी स्थानों से उपलब्ध न हो तथा मोबाइल</td></tr>
</table>

फुटनोट	सूचना	
		फोन्स या सार्वजनिक फोन्स से निःशुल्क न हो। आपको पेफोन्स में उसी तरह से सिक्के और/या कार्ड डालने पड़ सकते हैं जैसे कि एक स्थानीय कॉल करने के लिए डालने पड़ते हैं। हो सकता है कि कॉल समाप्त होने के बाद आपको ये पैसे वापस न मिलें। • यदि आप ऊपर दिये गये निःशुल्क **कॉल™** नंबर पर फोन नहीं कर पा रहे हैं तो निम्नांकित नंबर पर हमसे संपर्क करें। **+61 3 6222 3455**. • कॉल करने का शुल्क लगता है। मोबाइल फोन से किये गये कॉल्स पर उच्च दर से शुल्क लगाया जा सकता है।

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में दी गई सूचना का उद्देश्य, उपलब्ध भुगतानों और सेवाओं के बारे में केवल दिशा-निर्देश प्रस्तुत करना है।

इस तथ्य-पत्र में दी गई सूचना अप्रैल 2022 तक बिल्कुल सही है। यदि आप इस सूचना का उपयोग उस तिथी के बाद करें, तो कृपया हमसे यह पता लगा लें कि यह विवरण अप-टू-डेट है।

Australian Government
Services Australia

ENGLISH

Social Security Agreement between Australia and the Republic of India

Australia's social security system

Australia's social security system is different to most other countries. Each person's pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested.

You will have to tell us about all of your, and if you have a partner[1], your partner's[1] income and assets if you want to claim an Australian pension.

How does the agreement help you?

If you live in Australia or India, the agreement generally allows you to submit a claim for an Australian or Indian payment. It also allows you to add together your periods of residence in Australia[2] and periods of social security coverage in India, so you can meet minimum requirements for payment.

Australian payments

We make all decisions about Australian payments.

Who can get an Australian payment?

To qualify under the agreement, you generally need to meet the following basic requirements:

Australian payment	Basic qualifications:
Age pension	• you must have reached the qualifying age (refer to **servicesaustralia.gov.au/agepension** for details), and • your total Australian residence[2] combined with your period(s) of coverage in must India add up to at least 10 years.

Notes:

- Only periods of insurance in India after 1 January 2016 may be used.
- If you need to use any of your periods of insurance in India after 1 January 2016 to meet the 10 years, you must also have a period of at least 12 months (six months continuously) of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and age 58.
- If you are not living in Australia when you make a claim, you must have a period of at least 12 months of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and the qualifying age for Age Pension.
- There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.
- We cannot be sure if you will get a payment, until you submit a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you submit a claim for payment or not.

How do I claim an Australian payment?

If you are in:	
Australia	To get a claim form: • you need a myGov account linked to your Centrelink online account, or • print and complete a *Claim for Age Pension and Pension Bonus* form from **servicesaustralia.gov.au/sa002** and the *Income and Assets* form from **servicesaustralia.gov.au/sa369**, or • call us on the Older Australians line[4].
	To lodge a claim form: • upload via myGov, or • you can give your claim form and any supporting documents to us by mail[4] or by visiting your nearest Services Australia Service Centre.
India	To get a claim form: • contact the local Indian pension agency[3], or • call us on the International Services line[4], or • print and complete a *Claim for Australian pension from an agreement country* form from **servicesaustralia.gov.au/aus140** and an *Income and Assets* form from **servicesaustralia.gov.au/mod-ia**
	To lodge your claim form: • take your claim form and any supporting documents to any Indian pension agency office[3].

Claims for Australian payments can generally be submitted up to 13 weeks early. You must submit your claim form and all supporting documents at the same time. If you do not do this, your claim may not be accepted.

Indian payments

The Indian pension agency makes all decisions about Indian payments. For more information about Indian payments, you should contact the Indian pension agency[3].

Who can get an Indian payment?

To see if you can get an Indian Retirement Pension, Permanent Total Disability Pension or Survivor Pension you will need to refer to the website of the Indian social insurance agency[3].

How do I claim an Indian payment?

If you are in:	
Australia	To get a claim form: • call us on the International Services line[4].
	To lodge your claim form: • take your claim form and any supporting documents to your nearest Services Australia Service Centre, or

If you are in:	
	• return your claim form and any supporting documents to us by mail[4].
India	To get a claim form: • follow any instructions on the website of the Indian social insurance agency[3], or • contact the Indian pension agency[3].
	To lodge your claim form: • follow any instructions on the website of the Indian social insurance agency[3], or • take your claim form and any supporting documents to any Indian pension agency office[3].

For more information

If you need more information, contact us[4] for free help and advice.

Footnote	Information
1. Definition of a partner	You have a partner, we generally consider you a member of a couple. We consider you a member of a couple if you're: • married • in a registered relationship • in a de facto relationship. A registered relationship is where your relationship is registered under a law of an Australian state or territory. If your relationship is registered outside Australia, we do not recognise it as a registered relationship. You can use it as evidence for a de facto relationship. A de facto relationship is where you and your partner are in a relationship similar to a married couple but are not married or in a registered relationship.
2. Australian residence/Australian Working Life Residence	'Australian residence' means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. 'Australian Working Life Residence' is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian Age Pension age only. Under the agreement with India, Australian Working Life Residence is limited to only periods after 16 November 1995. There may be other limitations for specific provisions in the agreement.

Footnote	Information	
3. Indian social insurance agency contact details	**Employees' Provident Fund Organisation, Head Office** Bhavishya Nidhi Bhawan 14, Bhikaji Cama Place New Delhi 110066 INDIA	**Website: epfindia.gov.in/** **Phone:** • **1800 118 005** Toll free (from India only) • **+91 11 2619 5325**
4. Services Australia contact details	**Centrelink International Services** **Services Australia** PO Box 7809 Canberra BC, ACT, 2610 AUSTRALIA	**Website: servicesaustralia.gov.au** **Phone:** • **000 800 61 01098** International **Freecall™** (from India only) • **+61 3 6222 3455** International Services (from outside Australia only) • **132 300** Older Australians line (from Australia only) • **131 673** International Services (from Australia only) **Fax: +61 3 6222 2799** **Notes:** • The international **Freecall™** number connects you directly to Services Australia. This **Freecall™** may not be available from every location within India and may not be free from mobile phones or public phones. You may need to insert coins and/or card in payphones as for a local call. This may not be refunded at the end of the call. • If you are not able to use the **Freecall™** number listed above, please contact us on **+61 3 6222 3455**. • Call charges apply. Calls from mobile phones may be charged at a higher rate.

Disclaimer

The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available.

The information in this factsheet is accurate as at April 2022. If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date.